

**न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला**  
**जिला बैतूल**

दांडिक प्रकरण क :- 74/17  
 संस्थापन दिनांक:-28/03/17  
 फाईलिंग नं. 175/2017

मध्यप्रदेश राज्य  
 द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,  
 जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

**वि रु द्ध**

अमरसिंह पिता फजलसिंह राजपूत,  
 उम्र 26 वर्ष, निवासी उमरिया  
 थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....**अभियुक्त**

**—: (नि र्ण य ) :-**

**(आज दिनांक 07.09.2017 को घोषित)**

1 प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध धारा 332, 186 भा०दं०सं० के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उसने दिनांक 21.02.2017 को समय दोपहर 12:00 बजे थाना आमला से 20 किमी. पूर्व ग्राम पंचायत भवन ग्राम उमरिया आमला में फरियादी किसनसिंह जो कि एक लोक सेवक है एवं लोक सेवक के नाते अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा था उसके कर्तव्य के निर्वहन से निवारित या भयोपरत करने के आशय से स्वेच्छया उपहति कारित की तथा फरियादी जो उसके लोक कर्तव्य का निर्वहन कर रहा था उसे कर्तव्य निर्वहन में स्वेच्छया बाधा डाली।

2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि फरियादी 21.02.2015 को दोपहर करीब 12 बजे पंचायत भवन उमरिया में अन्य लोगों के साथ बैठकर अपना सरकारी काम कर रहा था। तभी अभियुक्त आया और कहा कि मेरा पट्टा दो जिस पर उन्होंने कहा कि तुम्हारे पट्टे का निराकरण सात दिवस के अंदर हल्कापटवारी को बुलवाकर करवा देंगे। इसी बात पर से अभियुक्त ने मां बहन की गंदी गंदी गालियां देकर बोला मदारचोदो मुझे मेरा पट्टा अभी चाहिए और फरियादी के साथ मुक्का थप्पड़ से मारपीट करया जिससे उसे दोनों गाल और पीठ पर चोट आयी। अभियुक्त ने उसके टेबल पर रखे शासकीय दस्तवेज मस्टर रोल क. 8219 दिनांक 13.02.2017 से 19.02.2017 तक टेबल से उठाकर फाड़ दिया। अभियुक्त ने उसे थाने पर रिपोर्ट करने पर जान से खत्म करने की धमकी भी दी।

3 फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर थाना आमला में अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क. 84/17 पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान फरियादी का

चिकित्सकीय परीक्षण करवाया गया। मौका नक्शा बनाया गया एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। फरियादी से मस्टर रोल क्र. 8219 दिनांक 13.02.2017 से 19.02.2017 जप्त कर जप्ती पत्रक बनाया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

4 प्रकरण में फरियादी किसनसिंह का अभियुक्त से राजीनामा हो जाने के परिणामस्वरूप अभियुक्त को धारा 294, 506 भाग-दो भा.द.सं के अधीन दंडनीय अपराध से दोषमुक्त किया गया किन्तु अभियुक्त के विरुद्ध लगे धारा 332, 186 भा०दं०सं० का आरोप अशमनीय होने से अभियुक्त का विचारण किया गया।

5 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका क्रं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया। अभियुक्त कथन योग्य साक्ष्य अभिलेख पर नहीं होने से धारा-313 दं०प्र०सं० के अंतर्गत अभियुक्त कथन अंकित नहीं किये गये मात्र मौखिक परीक्षण किया गया जिसमें उसका कहना है कि वह निर्दोष है उसे झूठा फंसाया गया है।

6 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह हैं :-

“क्या अभियुक्त ने दिनांक 21.02.2017 को समय दोपहर 12:00 बजे थाना आमला से 20 किमी. पूर्व ग्राम पंचायत भवन ग्राम उमरिया आमला में फरियादी किसनसिंह जो कि एक लोक सेवक है एवं लोक सेवक के नाते अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा था उसके कर्तव्य के निर्वहन से निवारित या भयोपरत करने के आशय से स्वेच्छया उपहति कारित की तथा फरियादी को उसके कर्तव्य निर्वहन में स्वेच्छया बाधा डाली ?”

### **।। विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ।।**

7 किसनसिंह (अ.सा.-1) ने अपने मुख्य परीक्षण में यह प्रकट किया है कि वह रोजगार सहायक के पद पर पदस्थ है। घटना इसी वर्ष फरवरी माह की दिन के 12 बजे की है। घटना के समय वह पंचायत भवन के बाहर खड़ा था तभी अभियुक्त आया और उससे पट्टे के बारे में पूछने लगा तो उसने कहा कि सात दिवस क अंदर निराकरण करा देंगे। इसी बात पर अभियुक्त ने कहा कि वह बार बार वापस जा रहा है आज वह पट्टे का निराकरण कराकर ही जायेगा। इसी बात पर उसे उसका और अभियुक्त का विवाद बढ़ गया और पंचायत भवन में भीड़ इकट्ठी हो गयी थी। इतनी अधिक भीड़ थी कि टेबल पर सरकारी कागज रखे थे जो उसी दौरान फट गये थे और उसे पता नहीं कि कागज कैसे फटे। साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि अभियुक्त से उसका केवल मौखिक विवाद हुआ था और अभियुक्त द्वारा गालियां देने से वह गुस्से में आ गया था और भीड़ में उसका धक्का भी उसे लग गया था। साक्षी ने प्रकट किया है कि उसने घटना

की रिपोर्ट (प्रदर्श पी-1) थाने में की थी तथा पुलिस ने मौका नक्शा (प्रदर्श पी-2) तैयार किया था।

8 साक्षी किसन सिंह (अ.सा.-1) द्वारा अभियोजन का पूर्ण समर्थन न करने के कारण साक्षी से न्यायालय द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस बात को गलत बताया है कि अभियुक्त ने उसके साथ हाथ थप्पड़ से मारपीट किया था और पंचायत कार्यालय में रखे मस्टर रोल क्र. 8219 दिनांक 13.02.2017 से 19.02.2017 टेबल से उठाकर फाड़ दिया था। साक्षी ने स्वतः में कहा है कि भीड़ में किसी के हाथ से फट गये थे। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में भी इस बात को स्वीकार किया है कि उसने लोक सेवक के पद पर पदस्थ होने के संबंध में उसके वरिष्ठ अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया है और वह शासकीय कर्मचारी नहीं है। साक्षी ने इस बात को भी सही बताया है कि अभियुक्त ने शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न नहीं की थी तथा उसने अभियुक्त को कागज फाड़ते नहीं देखा था।

9 अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से अभियुक्त द्वारा पट्टे की बात को लेकर फरियादी के साथ गाली गलौच कर वाद विवाद करना प्रमाणित होता है जिसके संबंध में अभियुक्त को राजीनामा आवेदन स्वीकार कर दोषमुक्त किया जा चुका है। स्वयं फरियादी किसनसिंह (अ.सा.-1) ने अपने परीक्षण में यह बताया है कि घटना के समय वह पंचायत भवन के बाहर खड़ा था। स्पष्टतः उसके द्वारा कोई शासकीय कार्य नहीं किया जा रहा था। साथ ही साक्षी ने यह भी बताया है कि भीड़ अधिक होने के कारण टेबल पर रखे कागज कैसे फट गये वह नहीं बता सकता। तब ऐसी स्थिति में उपलब्ध साक्ष्य से युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं होता है कि घटना दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्त ने फरियादी किसनसिंह जो कि एक लोक सेवक है एवं लोक सेवक के नाते अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा था तब अभियुक्त ने उसके कर्तव्य निर्वहन में बाधा डालकर स्वेच्छया उपहति कारित की। निष्कर्षतः अभियुक्त अमरसिंह को धारा 332, 186 भा.दं.सं. के अधीन दंडनीय अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।

10 अभियुक्त पूर्व से जमानत पर है। अभियुक्त द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

11 अभियुक्त द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित  
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित ।

(श्रीमती मीना शाह)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
आमला, बैतूल (म.प्र.)

